पत्रांक–मं.मं.–01/आर–28/2006– 1015
बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेषक

आर. जे. एम. पिल्लै,
मुख्य सचिव।

सेवा में

सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक 17 जून, 2009

विषय :– मुख्य मंत्री एवं मुख्य सचिव को संचिका उपस्थापन के समय आत्मभरित एवं स्वतः स्पष्ट टिप्पणी देने के संबंध में।

महाशय,

कार्यपालिका नियमावली के नियमों के अनुसार कतिपय मामलों में मुख्य सचिव अथवा उनके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री को विभिन्न विभागों द्वारा संचिकाएं उपस्थापित की जाती हैं। ऐसे कई दृष्टान्त सामने आए हैं जिनमें विभाग के प्रधान सचिव/सचिव के स्तर पर मात्र पृष्ठांकन कर दिया जाता है अथवा अति संक्षिप्त टिप्पणी दी जाती है। यह उपयुक्त नहीं है।

2. उपर्युक्त के आलोक में कृपया यह सुनिश्चित किया जाय कि जब भी कोई संचिका मुख्य सचिव अथवा उनके माध्यम से मुख्य मंत्री के आदेश हेतु उपस्थापित की जाय, विभाग के प्रधान सचिव/सचिव एक स्वतः स्पष्ट आत्मभरित टिप्पणी में पूरे मामले को स्पष्ट करते हुए अपना प्रस्ताव देंगे।

3. कृपया इसका अनुपालन दृढ़ता से सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

17/6/09

(आर. जे. एम. पिल्लै)
मुख्य सचिव